न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 33/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/56

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

श्री हरीलाल गर्ग पुत्र श्री कचरु गर्ग निवासी वार्ड नं.4, ग्राम सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (राज.) (ऋणी)
श्रीमती ममता देवी गर्ग पत्नी श्री हरीलाल गर्ग निवासी वार्ड नं.4, ग्राम सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (राज.) (सहऋणी)।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 08.03.2021

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री हरीलाल गर्ग पुत्र श्री कचरु गर्ग निवासी वार्ड नं.4, ग्राम सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (राज.) (ऋणी) 2– श्रीमती ममता देवी गर्ग पत्नी श्री हरीलाल गर्ग निवासी वार्ड नं.4, ग्राम सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा (राज.) (सहऋणी) के खाते दिनांक 04–06–2021 तक कुल बकाया ऋण राशि 248281 रू. (दो लाख अडतालिस हजार दो सौ इक्यासी रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है। ऋणी राशि परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित श्री हरीलाल गर्ग पुत्र श्री कचरु गर्ग की रिहायसी अचल सम्पत्ति जो हनुमान मन्दिर के पास, ग्राम सेनावासा, ग्राम पंचायत सेनावासा तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1575 वर्ग फीट को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:29 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लायसेंस सं. एम.यू.एम.–119 दिनांक 30.06. 2016 से भारत में लधु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लायसेंस प्रदान किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 19–06–2021 को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 24.10.2019 रु. 180000/– (अक्षरे एक लाख अस्सी हजार मात्र) ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04.06.2021 को एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 07.01.2022 को अधिवक्ता श्री मोहम्मद शमीम खान व श्री दिलीप गुप्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् से आज दिनांक तक अप्रार्थी सं.1 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं.2 का नोटिस दिनांक 22.12.2021 को तामिल शुदा प्रस्तुत हुआ किन्तु अप्रार्थी सं.2 लगातार अनुपस्थित रहे। ऋणी को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे एवं जवाब प्रस्तुत नही किया। दिनांक 08.03.2022 को अप्रार्थी सं.1 का जवाब बंद किया गया तथा अप्रार्थी सं.2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 08.03.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय बहसी सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 09:56:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner